

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय
संदाय) अधिनियम, 1978**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1978)

**UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY
PAYMENT OF WAGES) ACT, 1978**

(U.P. Act No. 5 of 1978)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय)

अधिनियम, 1978¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05, 1978]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 2021]

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के हित में, बड़े औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी का यथासमय संदाय और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) इसे 12 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2—इस अधिनियम में —

(क) “औद्योगिक अधिष्ठान” का तात्पर्य किसी कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान से है जिसमें वस्तुएं प्रयोग, परिवहन या बिक्री के उद्देश्य से उत्पादित, प्रसंस्कृत, अनुकूलित या विनिर्मित की जाती है ;

(ख) “श्रम आयुक्त” में इस अधिनियम के अधीन श्रम आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक श्रम आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ग) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में, “अधिष्ठाता” का तात्पर्य ऐसे अधिष्ठान में नियोजित मजदूरी के नियोजक से है और इसमें उस स्थिति में, जहाँ नियोजक कम्पनी है, वहाँ प्रबन्ध निदेशक और जहाँ कोई फर्म है, वहाँ फर्म द्वारा इस निमित्त पदाभिहित भागीदार और किसी अन्य नियोजक की स्थिति में ऐसा कोई अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे उसकी सम्मति से, नियोजक ने इस निमित्त पदाभिहित किया हो और जिसका नाम नियोजक द्वारा श्रम आयुक्त को विहित प्रपत्र में विहित दिनांक तक सूचित किया गया हो ;

(घ) “मजदूरी बिल” का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा अपने मजदूरों को देय मजदूरी की कुल धनराशि से है ;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(ङ) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में दिया गया है ;

(च) "मजदूर" का वही अर्थ होगा जो उसे संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में दिया गया है ;

(छ) किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता को मजदूरी संदाय में व्यतिक्रम करने वाला समझा जायेगा, यदि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 में उपबंधित अवधि के भीतर ऐसी मजदूरी का भुगतान न किया गया हो ।

3—(1) जहाँ श्रम आयुक्त का समाधान हो जाय कि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता ने मजदूरी के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जिस मजदूरी बिल के सम्बन्ध में ऐसे अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है वह पचास हजार रुपए से अधिक का है, वहाँ वह धारा 5 और 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने हस्ताक्षर से, सम्बद्ध औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा देय मजदूरी की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेज सकता है ।

कतिपय
औद्योगिक
अधिष्ठानों में
मजदूरी की
भू-राजस्व की
बकाया की
तरह वसूली

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि और उसके अतिरिक्त दस प्रतिशत की दर से वसूली खर्च उस औद्योगिक अधिष्ठान से वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानों ऐसी धनराशि भू-राजस्व की बकाया हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी धनराशि, वसूली खर्च काट कर श्रम आयुक्त के व्ययन पर रख दी जायेगी जो उसे उसके हकदार मजदूरों में बाँटेगा या बंटवायेगा ।

(4) जहाँ इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि ऐसे मजदूरी बिल से, जिसके सम्बन्ध में अधिष्ठाता ने व्यतिक्रम किया है, कम ठहरे, वहाँ श्रम आयुक्त मजदूरों के विभिन्न प्रवर्ग में मजदूरी का ऐसा अनुपात या क्रमिक अनुपात, जैसा वह ठीक समझे, बाँटे जाने का प्रबन्ध करेगा ।

(5) मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में प्रत्येक मजदूर के प्रति अधिष्ठाता अपने दायित्व से उस धनराशि की सीमा तक उन्मुक्त हो जायेगा जिसका संदाय इस धारा के अधीन ऐसे मजदूर को कर दिया जाय ।

4—किसी अधिष्ठान के मजदूरी बिल, जिसके सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया गया है, को अभिनिश्चित करने के लिए श्रम आयुक्त को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय साक्षियों को हाजिर होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उनका बयान लेने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त है और श्रम आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा ।

श्रम आयुक्त
की शक्तियाँ

5—(1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान का अधिष्ठाता किसी समय एक लाख रुपये से अधिक किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा ।

शान्ति

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठता ¹[ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा]

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 33, 2021 की धारा 2 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

परन्तु न्यायालय किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ¹[पचास हजार रुपये से कत की शास्ति] दे सकता है ।

6—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

**कम्पनियों
द्वारा अपराध**

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी ओर से कोई उपेक्षा के कारण हुआ है, तो उस कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी इस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसके तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, “निदेशक” का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

7—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित हो ।

**सद्भावना से
किये गये
कार्य का
संरक्षण**

8—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

**नियम बनाने
की शक्ति**

9—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

**निरसन और
अपवाद**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे ।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 33, 2021 की धारा 2 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

उद्देश्य और कारण

मजदूरों का मजदूरी के संदाय में विलम्ब होने से उनमें अन्दर ही अन्दर असंतोष पैदा होने लगता है। कभी-कभी इसके कारण शान्ति और व्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

2—मजदूरी का यथासमय संदाय सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबन्ध को अपर्याप्त पाया गया है। अपेक्षाकृत बड़े अधिष्ठानों पर औद्योगिक शान्ति में उपद्रव का प्रभाव अधिक पड़ता है। अतएव यह व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया था कि यदि मजदूरी के बिल में पचास हजार रुपये से अधिक का व्यतिक्रम हो जाय तो उस धनराशि को भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मजदूरी की बड़ी-बड़ी धनराशियों को बकाया रखने की नियोजकों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि एक लाख रुपये से अधिक के किसी मजदूरी बिल का व्यतिक्रम किये जाने पर उसे शास्तिक अपराध बनाया जाय कि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और परिस्थितियों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) आदेश, 1977 प्रख्यापित किया था।

3—तदनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 उक्त अध्यादेश को स्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।